महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 79वीं बैठक

दिनांक 28 अगस्त, 2025

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 79वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 79वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2025 को प्रातः 11.15 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरू	अध्यक्ष
2.	प्रो. सुभाष चन्द्र, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	सदस्य
3.	प्रो. मोनिका भटनागर, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
4.	प्रो. शिवदयालसिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
5.	प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
6.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	सदस्य
7.	प्रो. अनिल दाधीच, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
8.	डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य
9.	प्रो. सुचेता प्रकाश, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	सदस्य
10.	प्रो. प्रेरणा जैन, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	सदस्य
11.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	प्रो. ऋतु माथुर, विभागाध्यक्ष, खाद्य पोषण एवं विज्ञान विभाग	सदस्य
13.	प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
14.	प्रो. सावन कुमार जांगीड, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा	सदस्य
15.	प्रो. मिलन यादव, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर	सदस्य
16.	प्रो. हरसुख राम छारंग, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नागौर	सदस्य
17.	कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-</u>

1.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	सदस्य
2.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	प्रो. मनोज बहरवाल, प्राचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	सदस्य
4.	प्रो. रेश्मा बूलचंदानी, गृह विज्ञान विभाग, राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
5.	डॉ. देवेन्द्र श्रीमाली, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	सदस्य

माननीय कुलगुरू ने बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व सभी सदस्यों का परिचय प्राप्त किया एवं सभी का स्वागत किया। माननीय कुलगुरू ने विश्वविद्यालय में दिनांक 23 जुलाई, 2025 को कार्यग्रहण करने के उपरान्त आयोजित विद्या परिषद् की प्रथम बैठक में लगभग एक माह से अधिक के कार्यकाल के दौरान किये गये विभिन्न आयोजनों एवं नवाचारों से सदस्यों को अवगत कराया तथा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की । माननीय कुलगुरू ने विश्वविद्यालय में गुरूवंदन कार्यक्रम के दिन ही कार्यग्रहण किया और भारतीय संस्कृति और गुरूपरंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपना संकल्प प्रकट किया कि विश्वविद्यालय का प्राथमिक लक्ष्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी ढंग से लागू करना होना चाहिए । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षा को अधिक समावेशी, अभिनव और गुणात्मक बनाती है तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, आधुनिक कौशल और तकनीकी शिक्षा की दिशा में परिवर्तनकारी कदम है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को विश्वविद्यालय में प्रभावी ढंग से लागू किया जाकर डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान के विस्तार के माध्यम से विद्यार्थी समुदाय को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनाया जाएगा । विद्या परिषद् की यह बैठक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नई दिशा देने वाली साबित होगी । माननीय कुलगुरू ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों से विश्वविद्यालय के सर्वांगीण एवं चहूमुंखी विकास में सहयोग की अपेक्षा की । विद्या परिषद् के सदस्यों ने माननीय कुलगुरू की सकारात्मक सोच और प्रगतिशील विचारधारा की सराहना की तथा माननीय कुलगुरू से यह अपेक्षा की कि वह अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय के विकास के लिए ठोस एवं रचनात्मक योजनाएं बनाकर इस विश्वविद्यालय को भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित करवाने हेतु प्रयास करेंगे । इसके पश्चात् माननीय कुलगुरू ने कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 77वीं बैठक दिनांक 23.07.2024 एवं विद्या परिषद् की 78वीं बैठक दिनांक 21.03.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (77) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2024/20064-85 दिनांक 27.06.2024 एवं पत्र क्रमांक एफ. 13 (78) शैक्षणिक-I/ मदसविवि/ 2024/10869-84 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	विद्या परिषद् की 77वीं बैठक दिनांक 23.07.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा 78वीं बैठक दिनांक 21.03.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नलिखित प्रेक्षण के साथ की गयी:- <u>निर्णय संख्या 01:-</u> "उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गयी" के स्थान पर "मद में अंकित उपाधि धारण करने की तिथि (Grace Pass) दिनांक	

	26.03.3035 के स्थान पर 26.03.2025 का संशोधन मान्य करते हुए उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गयी ।"	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की 76वीं बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	उक्त अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 03	माननीय कुलपति के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:- **(1) प्रतिवेदन है कि,** प्रो. एस.वी. शर्मा, संयोजक-शिक्षा पाठ्यक्रम समिति के द्वारा एम.एड. (विशेष परीक्षा) एम.आर. की परीक्षा स्कीम पृथक से उपलब्ध करायी गयी थी । उक्त परीक्षा स्कीम के अभाव में एम.एड. (विशेष परीक्षा) एम.आर. का परीक्षा परिणाम घोषित करने में अनावश्यक विलम्ब कारित हो रहा था । अतः माननीय कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में उन्हें प्राप्त शक्तियों के तहत उक्त परीक्षा स्कीम का दिनांक 28.01.2025 को अनुमोदन किया गया । माननीय कुलपति के आदेश दिनांक 28.01.2025 की अनुपालना में जारी किया गया कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2025/3787-91 दिनांक 07.02.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)** जारी किया गया । अतः उक्त आदेश विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	 **शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(2) प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षान्त समारोह दिनांक 29 मार्च, 2025 को आयोजित किया गया था तथा तत्समय संकायाध्यक्ष-शिक्षा एवं संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय के पद रिक्त थे । राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न प्राधिकरणों में सदस्यों की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण विद्या परिषद्/प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है । इस कारण से विद्या परिषद् की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है । अतः दीक्षान्त समारोह को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत माननीय कुलपति द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 26.03.2025 की अनुपालना में	**शैक्षणिक-I**

	विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम (Statute) 2 (1) एवं 2 (2) के अंतर्गत, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन, दो वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो, तक के लिए प्रो. एस.वी. शर्मा, प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर को संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय एवं प्रो. प्रेरणा जैन, विभागाध्यक्ष, ए.बी.एस.टी. विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय, मनोनीत किया गया । माननीय कुलपति के आदेश दिनांक 26.03.2025 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2025/ 10363-860 दिनांक 27.03.25 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)** जारी किया गया । अतः माननीय कुलपति के उक्त आदेश विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(3) प्रतिवेदन है कि, प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय का स्थानान्तरण, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर से एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली हो जाने के कारण उनके स्थान पर प्रो. सुचेता प्रकाश ने प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है । विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पी.टी.ई.टी. के माध्यम से प्रवेश संबंधी आने वाली तकनीकी समस्याओं के निवारण एवं सम्बद्धता हेतु संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय का होना अत्यावश्यक है । चूंकि निकट भविष्य में अभी विद्या परिषद् की बैठक आयोजित नहीं हो पाने के मद्धेनजर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत माननीय कुलपति द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 02.05.2025 की अनुपालना में विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम (Statute) 2(1) एवं 2 (2) के अंतर्गत प्रो. सुचेता प्रकाश को प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर को, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन, दो वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो, के लिए संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय मनोनीत किया गया । माननीय कुलपति के आदेश दिनांक 02.05.2025 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2025/ 12975-13036 दिनांक 08.05.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-4)** जारी किया गया । अतः माननीय कुलपति के उक्त आदेश विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-I**

निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(4) **प्रतिवेदन है कि,** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक D.O. No. F.2-71/2022 (CPP-II) (C-114546) Dated 12 June, 2024 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)** के अनुसार सत्र 2024-25 में प्रवेश शुल्क लौटाने हेतु शुल्क वापसी नीति जारी की गई है । संबंधित पत्र में शुल्क लौटाये जाने के संबंध में शर्तो का उल्लेख किया गया है । अतः उल्लेखित शर्तो के अनुसार शुल्क वापसी नीति विश्वविद्यालय में प्रवृत्त मान्य किये जाने हेतु माननीय कुलपति द्वारा 19 (18) के तहत प्रदत्त आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 14 ( ) शैक्ष-II/मदसविवि/2025/17480 दिनांक 26.06.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5-ए)** जारी किया गया जो विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक- II
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(5) **प्रतिवेदन है कि,** विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाये जाते हैं किन्तु कुछ छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में नियत तिथि तक जमा नहीं करवायी जाती है । परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के अभाव में इन छात्रों का परीक्षा परिणाम RW/FNR (Form not Received) कर दिया जाता है । ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने हेतु उनके परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में निर्धारित विलम्ब शुल्क रू.260/- के साथ जमा कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है । इस हेतु माननीय कुलपति के आदेश दिनांक 21.6.2025 की अनुपालना में एक कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. ( ) पनि/निस/मदसविवि/2025/16728 दिनांक 11.07.2025 जारी किया गया है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)**। उल्लेखित आदेश विद्या परिषद की बैठक में प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**पुष्टि की गयी तथा निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदित मद में माननीय कुलगुरू को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) के तहत, धारा 19 (18) में प्राप्त अधिकार का अंकन किया जाये ।**	
	(6) **प्रतिवेदन है कि,** विधि अध्ययन बोर्ड की दिनांक 29.08.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त माननीय कुलपति के समक्ष विचारार्थ एवं	शैक्षणिक-I

	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति के द्वारा विधि अध्ययन बोर्ड के कार्यवृत्त को दिनांक 04.09.2024 को अनुमोदित कर दिया गया है । अतः उक्त कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है (कार्यसूची का परिशिष्ट-7)	
निर्णय	**पुष्टि की गयी तथा निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदित मद में माननीय कुलगुरू को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) के तहत, धारा 19 (18) में प्राप्त अधिकार का अंकन किया जाये ।**	
	(7) प्रतिवेदन है कि, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 से स्नातक की प्रथम वर्ष की परीक्षायें सैमेस्टर प्रणाली द्वारा आयोजित की जानी है। उक्त संबंध में परीक्षा अनुभाग को प्रथम सैमेस्टर एवं द्वितीय सैमेस्टर की परीक्षायें आयोजित करवानी थी। अण्डर ग्रेज्यूएट सैमेस्टर प्रथम की परीक्षायें माह फरवरी, 2024 में आयोजित करवाई जा चुकी है । सैमेस्टर द्वितीय की परीक्षायें माह सितम्बर, 2024 में आयोजित करवाई जा चुकी है । इसी तरह 2025 की सैमेस्टर तृतीय की परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरवाए जा चुके हैं एवं परीक्षायें शीघ्र ही आयोजित की जा रही है । अतः नई शिक्षा नीति को लागू किये जाने, परीक्षा आवेदन पत्र भरवाए जाने एवं परिणाम घोषित किये जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु समय-समय पर परीक्षा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कराकर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:- 1. नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-द्वितीय) के परिणाम प्रथम बार निकाले गये। परिणाम तैयार करते समय ग्रेस अंक दिये जाने व अन्य कठिनाईयां आई जिसके निवारण हेतु दिनांक 03.12.2024, 10.12.2024 एवं 12.03.2025 को संबंधित सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई जिसका कार्यवृत्त संलग्न है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट - 08 से 14 जिसमें अंकतालिका के पृष्ठ भाग में अंकित नोट भी सम्मिलित है ।)** 2. मुख्य परीक्षा 2025 के स्नातक परीक्षाओं के आवेदन पत्र नई शिक्षा नीति को मद्देनजर रखते हुए बी.कॉम/बी.एससी/बी.ए. भाग-द्वितीय एवं तृतीय (नियमित, पूर्व एवं स्वयंपाठी) के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाये जाने हेतु शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक बैठक दिनांक 19.12.2024 को आयोजित की गई, कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)** एवं आवश्यक सूचना क्रमांक 211 दिनांक 27.12.2024 संलग्न है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)**	परीक्षा नियंत्रक

3. विश्वविद्यालय के तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाये जाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों के स्पष्टीकरण हेतु विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20.01.2025 व दिनांक 29.01.2025 का कार्यवृत्त संलग्न है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट -17 एवं 18)**

अतः माननीय कुलपति के आदेश दिनांक 18.03.2025 की पालना में तीनों बिन्दुओं पर उल्लेखित अनुशंसा/निर्णय विद्या परिषद की बैठक में प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

पुष्टि की गयी तथा निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदित मद में माननीय कुलगुरू को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) के तहत, धारा 19 (18) में प्राप्त अधिकार का अंकनं किया जाये ।

(8) प्रतिवेदन है कि, निम्नलिखित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पुष्टि/प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत हैः- **शैक्षणिक-I**

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	मा. कुलपति के अनुमोदन की तिथि	परिशिष्ठ
1	समाज विज्ञान संकाय	अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड	15.03.25	02.06.25	19
		राजनीति विज्ञान अध्ययन बोर्ड	11.03.25	02.06.25	20
		इतिहास अध्ययन बोर्ड	11.03.25	02.06.25	21
		भूगोल अध्ययन बोर्ड	11.03.25	02.06.25	22
2	वाणिज्य संकाय	ए.बी.एस.टी. अध्ययन बोर्ड	15.03.25	02.06.25	23
3	कला संकाय	अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड	11.03.25	02.06.25	24
		हिन्दी अध्ययन बोर्ड	11.03.25	02.06.25	25
4	विज्ञान संकाय	रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड	11.03.25, 24.03.25, 30.07.25, 02.08.25	02.06.25 एवं 19.08.25	26
		गणित अध्ययन बोर्ड	11.03.25	02.06.25	27

निर्णय	उक्त अध्ययन बोर्डो के कार्यवृत्तों की पुष्टि की गयी तथा विद्यार्थियों के हितार्थ चार वर्षीय ऑनर्स पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड कराये जाने तथा प्रो. रीटा मेहरा को संबंधित पाठ्यक्रम ई.मेल के माध्यम से भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।	
	(9) प्रतिवेदन है कि, विद्यार्थी संगठन, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 16.06.2025 में मांग की गई है कि हाल में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये बी.एससी. अंतिम वर्ष के घोषित परिणाम-2025 हेतु ड्यू पेपर में रिवेल्यूएशन का मौका दिये जाने एवं छात्र हित में जिन विद्यार्थियों के किसी कारणवश पेपर ड्यू रहे है उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा एक बार पुनः मौका/स्पेशल परीक्षा देने का मौका दिया जाए, ताकि उन छात्रों के तीन वर्ष खराब न हो । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-28)** इकाई अध्यक्ष, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, विद्यार्थी संगठन द्वारा दिये गये ज्ञापन जो कि माननीय कुलपति को सम्बोधित है जिसे माननीय कुलपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । परीक्षा सलाहकार समिति की अनुशंसा दिनांक 18.06.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-29)** पर माननीय कुलगुरू द्वारा छात्र हित में 19 (18) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रदत्त आदेश दिनांक 20.06.2025 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( )परीक्षा/मदसविवि/2025 15970 दिनांक 05.07.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-30)** जारी किया गया, जो कि विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(10) प्रतिवेदन है कि, योग विज्ञान एवं मानवीय चेतना विभाग में स्नातक स्तर पर संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम, प्राकृतिक चिकित्सा व योग विज्ञान पाठ्यक्रम (त्रिवर्षीय) का शुल्क विगत 10 वर्षो से नहीं बढाया गया है । उक्त पाठ्यक्रम का शुल्क राशि रूपये 9,000/- होने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पश्चात् पाठ्यक्रम में बदलाव से शैक्षिक कार्यभार व पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का भार बढ़ने से आय-व्यय का आनुपातिक असंतुलन पैदा हो रहा था । अतः सत्र 2025-26 से उक्त पाठ्यक्रम का प्रवेश शुल्क राशि रूपये	योग विभाग

	9,000/- से बढ़ाकर राशि रूपये 11,500/- प्रति विद्यार्थी किये जाने का प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के द्वारा दिनांक 02.06.2025 को उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान किये गये । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 02.06.2025 की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( )यो. वि./मदसविवि/2025/3062-3066 दिनांक 06.06.2025 विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । (परिशिष्ट-35)	
निर्णय	पुष्टि की गयी तथा निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदित मद में माननीय कुलगुरू को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) के तहत, धारा 19 (18) में प्राप्त अधिकार का अंकन किया जाये ।	
मद सं0 04	डॉ.दुष्यन्त त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय से संगीत विषय संबंधी समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्राप्त पत्र (कार्यसूची का परिशिष्ट-31) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श कर संगीत विषय संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. संकायाध्यक्ष-कला संकाय — संयोजक 2. संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय — सदस्य 3. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य उक्त समिति 07 दिवस में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलगुरू को सौपेंगी । समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरू को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 05	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु (Curriculum & Credit Framework for Postgraduate Programmes) जारी गाईडलाईन को स्वीकार करने पर विचार कर निर्णय करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-32)	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	

मद सं0 06	महाविद्यालयों में चुनावी शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित (Electoral education through its inclusion in the academic curricula) किये जाने से संबंधित, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 18 (17) शिक्षा-4/2023/CLEARS-02101 जयपुर दिनांक 21.02.2025 पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-33)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श कर महाविद्यालयों में चुनावी शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु **निम्नलिखित समिति का गठन किया जाने का निर्णय लिया गयाः-** 1. प्रो. सुब्रतो दत्ता — संयोजक 2. प्रो. मिलन यादव — सदस्य 3. डॉ. आशीष पारीक — सदस्य 4. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य-सचिव **उक्त समिति 07 दिवस में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलगुरू को सौपेंगी । समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरू को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं0 07	प्रो. आशीष भटनागर द्वारा पत्र क्रमांक MDSU/micro/IQAC/ 2025/2943 Dated 22-04-2025 के साथ विश्वविद्यालय की संस्थागत विकास योजना (Institutional Development Plan) संलग्न कर प्रेषित की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-34)** उक्त पत्र को माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति के द्वारा उक्त प्रकरण को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 12.05.2025 प्रदान किये गये । अतः माननीय कुलपति के आदेश दिनांक 12.05.2025 की अनुपालना में उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की संस्थागत विकास योजना (Institutional Development Plan) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में तैयार कराया जाकर, लागू किये जाने हेतु समिति का गठन किये जाने के लिए माननीय कुलगुरू को अधिकृत किया गया ।**	

मद सं0 08	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रम/प्रोग्राम में सत्र 2026-27 से ऑनलाईन पाठ्यक्रम यथा-SWAYAM, MOOCS, NPTEL इत्यादि को संबंधित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से सम्मिलित कर लागू करने पर विचार कर निर्णय करना ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श कर ऑनलाईन पाठ्यक्रम यथा-**SWAYAM, MOOCS, NPTEL** इत्यादि को लागू करने के संबंध में निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रो. सुभाष चन्द्र — संयोजक 2. डॉ. सुनील कुमार टेलर- परीक्षा नियंत्रक — सदस्य 3. डॉ. अश्विनी तिवारी — सदस्य 4. प्रो. आशीष भटनागर (प्रभारी-राष्ट्रीय शिक्षा नीति) — सदस्य 5. सहा. कुलसचिव (शैक्ष-I) — सदस्य-सचिव उक्त समिति 07 दिवस में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलगुरू को सौपेंगी । समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरू को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 09	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन विभाग में कार्यरत सह-आचार्यो एवं पुस्तकालय में कार्यरत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को कैरियर उन्नति योजना (Career Advancement Scheme) में पदोन्नत किये जाने हेतु संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा तैयार किये गये पैनल की अनुशंसा करना । (परिशिष्ट पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे)	संस्थापन
निर्णय	प्रबन्ध अध्ययन विभाग में कार्यरत सह-आचार्यो एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को कैरियर उन्नति योजना में पदोन्नत किये जाने हेतु प्राप्त पैनल अनुशंसित किये गये तथा निर्णय लिया गया कि अनुशंसित पैनल को विद्या परिषद् की कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट नहीं बनाया जाये । सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को कैरियर उन्नति योजना में पदोन्नति नहीं देने के प्रावधान के संबंध में कोई जायज एवं वैद्य कारण नहीं बताये जाने तथा प्रक्रियात्मक निर्णय लेने का अधिकार माननीय सदस्यों को नहीं होने के कारण प्रो. रीटा मेहरा द्वारा दर्ज आपत्ति को अस्वीकार किया गया ।	
मद सं0 10	सत्र 2025-26 हेतु पाठ्यक्रमों को प्रवृत्त एवं मान्य करते हुए निम्नानुसार विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करने पर विचार कर निर्णय करना:-	शैक्षणिक-I

(60)

	1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार तैयार प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम, जोकि सत्र 2024-25 में लागू थे, को यथावत ही सत्र 2025-26 हेतु लागू किये जाकर विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर सत्र 2025-26 के कॉलम में अपलोड किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । 2. स्नातक स्तर के ऐसे पाठ्यक्रम (यथा- बी.एड़, डिप्लोमा, पी.जी. डिप्लोमा इत्यादि) जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार तैयार/लागू नहीं है तथा सत्र 2024-25 में लागू है को यथावत ही सत्र 2025-26 हेतु लागू किये जाकर विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर सत्र 2025-26 के कॉलम में अपलोड किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । 3. विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम पूर्व शिक्षा नीति के अनुसार ही बने हुए है तथा संचालित है । चूंकि सत्र 2025-26 प्रारम्भ हो चुका है तथा अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम तैयार नहीं किये गये है । अतः विद्यार्थी हित में सत्र 2024-25 में लागू स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम यथावत सत्र 2025-26 हेतु लागू किये जाकर विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर सत्र 2025-26 के कॉलम में अपलोड किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । उक्त बिन्दुओं विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 11	डॉ. सुधा नवल, संयोजक-गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड एवं प्राचार्य, एस.एम.एम. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 22.03.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-36)** प्रेषित कर निवेदन किया गया है कि गृह विज्ञान विषय एक प्रायोगिक विषय होने के कारण गृह विज्ञान विषय के द्वितीय वर्ष के सेमेस्टर-तृतीय में SEC (Skill Enhancement Course) में प्रायोगिक परीक्षा 100 अंको की प्रस्तावित की गयी थी । इसका उल्लेख संबंधित विषय की अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 12.03.2024 में किया गया था । उक्त बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 77वीं बैठक दिनांक 23.07.2024 के द्वारा अनुमोदित हो चुका	**शैक्षणिक-I**

	है । कौशल विकास पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा होना तर्कसंगत है तथा संगीत एवं चित्रकला भी प्रायोगिक विषय है तथा इनमें भी प्रायोगिक परीक्षा 100 अंको की प्रस्तावित की गयी है । गृह विज्ञान विषय "पारम्परिक कढ़ाई-3222" (Traditional Embroidery-3222) हेतु परीक्षा पोर्टल 30 अंको का ही दिया गया है । अतः इसे 100 अंको हेतु खोला जाए जिससे SEC की प्रायोगिक परीक्षा समय पर सम्पादित की जा सके । उक्त के क्रम में परीक्षा अनुभाग के द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर तद्नुसार परीक्षा आयोजित कर ली गयी । चूंकि विश्वविद्यालय के द्वारा द्वितीय वर्ष के सेमेस्टर-तृतीय में SEC (Skill Enhancement Course) में 70:30 के अनुसार अंक विभाजन हेतु गाईड लाईन जारी की गयी थी परन्तु चित्रकला, संगीत एवं गृह विज्ञान (कला) विषय में प्रायोगिक परीक्षा के रूप में प्रश्न-पत्र 100 अंको का तैयार किया गया है । अतः चित्रकला, संगीत एवं गृह विज्ञान विषय के द्वितीय वर्ष के सेमेस्टर-तृतीय में SEC (Skill Enhancement Course) में अंक विभाजन 70:30 के स्थान 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के संबंध में आ रही समस्याओं के समेकित निवारण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गयाः-** **1. प्रो. ऋतु माथुर, विभागाध्यक्ष, खाद्य पोषण एवं विज्ञान विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर — संयोजक** **2. संयोजक-गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड — सदस्य** **3. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य** **उक्त समिति 07 दिवस में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलगुरू को सौपेंगी । समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरू को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं0 12	विद्या परिषद् की 77वीं बैठक दिनांक 23.07.2024 एवं विद्या परिषद् की 78वीं बैठक दिनांक 21.03.2025 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-37 एवं 38)**	शैक्षणिक-I

निर्णय	उक्त अनुपालना रिपोर्टो का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 13	सिन्धी पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 07.08.2025 का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-39)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**सिन्धी पाठ्यक्रम समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया । शोध पीठ में अध्यापन कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जाने के संबंध में प्रो. रीटा मेहरा द्वारा कोई वैद्य आधार प्रदान नहीं करने के कारण, उनके द्वारा दर्ज आपत्ति को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 14	शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 06.08.2025 का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-40)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय के हस्ताक्षर के नीचे अंकित तिथि 06.05.2025 के स्थान पर 06.08.2025 का संशोधन मान्य करते हुए कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 15	सम्बद्धता समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं माननीय कुलपति के आदेशानुसार सत्र 2015-16 से 2025-26 तक महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि की अनुशंसा महाविद्यालयों द्वारा समय पर अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि हेतु वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आर्थिक दण्ड रूपये 50,000/- प्रति महाविद्यालय लगाया जा कर आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है। जिससे महाविद्यालयों में संचालित एक एवं एक से अधिक पाठ्यक्रमों हेतु केवल न्यूनतम राशि रूपये **50,000/- (विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए 19(1) के प्रावधानानुसार कमियों के आधार पर)** आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा रहा है। सत्र 2026-27 से महाविद्यालयों (बी0एड़0 महाविद्यालयों के अतिरिक्त) में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि हेतु प्रति पाठ्यक्रमवार (अतिरिक्त संचालित विषयों को छोड़कर) पाई गई समस्त कमियों के आधार पर आर्थिक दण्ड रूपये 50,000/- अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है ताकि सत्र 2026-27 से सम्बद्धता से संबंधित पत्रावलियों का निस्तारण समय पर किया जा सके। प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक-II

निर्णय	उक्त मद को स्वीकार किया गया तथा आर्थिक दण्ड वसूलने संबंधी कमियों का पुनर्निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः- 1. प्रो. शिव प्रसाद — संयोजक 2. प्रो. सुभाष चन्द्र — सदस्य 3. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य समिति अपनी रिपोर्ट 07 दिवस में माननीय कुलगुरू को सौपेंगी । समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरू को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 16	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सिन्धु शोधपीठ की स्थापना के समय राष्ट्रीय सिन्धी भाषा विकास परिषद्, नई दिल्ली के साथ हुए समझौता-पत्र के उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में सिन्धु शोधपीठ के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में Certificate Programme in Sindhi (एक वर्षीय) नियमित पाठ्यक्रम, सत्र 2026-27 से प्रारम्भ करने एवं इस पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश शुल्क राशि रूपये 1,000/- प्रति विद्यार्थी लिये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	सिन्धु शोध पीठ/ शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त मद को स्वीकार किया गया ।	
मद सं0 17	गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.08.2025 का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-41)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त को निर्णय संख्या 11 में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।	

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलगुरू 4.9.25

कुलसचिव